

कानून सं 14025/6/89-राखा(घ), दिनांक 15.2.2000

विषय: हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों की सहायता के लिए कार्यशालाओं का आयोजन-मानदेय की धनराशि बढ़ाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 29.10.1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14025/2/83-राखा(घ), दिनांक 7.8.1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14023/2/85-राखा(घ), दिनांक 10.9.1986 तथा दिनांक 23.1.1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14025/1/86-राखा(घ), के अधिक्रमण में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हिंदी कार्यशालाओं में शिक्षण देने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय की दर को 25 रुपए प्रति घंटे से बढ़ा कर 50 रुपए प्रति घंटे करने का निर्णय लिया गया है, परन्तु मानदेय की अधिकतम राशि एक कोर्स में प्रति प्रशिक्षक 500 रु. से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक भाषण की अवधि न्यूनतम एक घंटे होगी।

2. इसे गृह मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग के दिनांक 17.1.1990 के आईडी सं एच-8/90-वित्त-II की सहमति से जारी किया गया है।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।